भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1150

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डायग्नोस्टिक केंद्रों में प्रशिक्षित महिला कर्मचारियों की अनुपलब्धता

†1150. श्री राकेश राठौर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर के विभिन्न डायग्नोस्टिक केंद्रों में प्रशिक्षित महिला कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण शारीरिक जांच के दौरान महिला रोगियों को होने वाली असुविधा और शर्मिंदगी की शिकायतों के समाधान के लिए कोई योजना प्रस्तावित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डायग्नोस्टिक केंद्रों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित महिला कर्मचारियों का होना अनिवार्य कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के कारण विभिन्न डायग्नोस्टिक केंद्रों में प्रशिक्षित महिला कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण शारीरिक जांच के दौरान महिला रोगियों को होने वाली असुविधा और शर्मिंदगी की शिकायतें, जब भी प्राप्त होती हैं, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया जाता है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियों से संबंधित डायग्नोस्टिक केन्द्रों सहित सरकारी और निजी नैदानिक स्थापनाओं (सशस्त्र बलों के स्थापन को छोड़कर) के पंजीकरण और विनियमन के लिए नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 को अधिनियमित किया। इस अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद ने रोगियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के चार्टर को मंजूरी दी, जिसमें उपचार के दौरान गोपनीयता, मानवीय गरिमा और निजता के अधिकार के साथ-साथ पुरुष चिकित्सक द्वारा महिला रोगी की शारीरिक जांच के दौरान किसी महिला की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अधिकार शामिल है। इस चार्टर को अपनाने और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया था।

*****